भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1872
जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार का रुख

1872 डा. सस्मित पात्राः

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की तुलना में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पर सरकार के रुख का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार एनजेएसी को कानून बनाने के खिलाफ विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) कॉलेजियम प्रणाली में ऐसे कौन-से अवगुण हैं जिनके कारण एनजेएसी पर विचार किया गया था ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को और अधिक व्यापक-आधारित, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र के साथ बदलने और निष्पक्षता लाने के लिए, सरकार ने संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनिमय, 2014 को प्रवर्तन में लाया जो 13.04.2015 से प्रभावी हुआ । तथापि, दोनो अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायलय ने 16.10.2015 को दिए गए निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया । संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के लागू होने से पूर्व विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रभावी घोषित किया गया था ।

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.12.2015 के आदेश द्वारा सरकार को पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों को निपटाने के लिए तंत्र को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय क◌ॉलेजियम के परामर्श से मौजूदा एमओपी को अनपुरित करते हुए अंतिम रुप देने के लिए निदेश दिया था ।

भारत सरकार ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् मौजूदा एमओपी में प्रस्तावित बदलाव और मसौदा एमओपी को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र द्वारा तारीख 22.03.2016 को भेजा गया था । उस पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का जवाब 25.5.5016 और 01.07.2016 को

प्राप्त हुआ था । सरकार के विचारों से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को 03.08.2016 को अवगत करा दिया गया था । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के एमओपी पर जानकारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से तारीख 13.03.2017 को पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी । न्याय विभाग ने सचिव (न्याय) के पत्र द्वारा तारीख 11.07.2017 को भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव को अवगत करा दिया है । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के परामर्श से सरकार द्वरा एमओपी को अंतिम रुप दिया जा रहा है ।

****